संख्या 3/1/1979—कामिक—1

प्रेषक

श्री के० के० एन० सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 18 अक्टूबर, 1979।

विषय:—आकस्मिक अवकाश के प्रारम्भ या अन्त में छुट्टियों या अन्य अकार्य दिवसों (non Working days) का जोड़ा जाना।

महोदय,

कामिक अनुभाग—1

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर्स के परिच्छेद 90 के उप परिच्छेद (iv), जो शासनादेश संख्या 2093/2—बी—181—1957, दिनांक 1 दिसम्बर, 1958 द्वारा परिचालित किया गया था, में यह व्यवस्था की गयी है कि आकस्मिक अवकाश की अवधि के बीच में पड़ने वाले रविवार, छुट्टियां तथा अन्य अकार्य दिवसों (non working days) को आकस्मिक अवकाश की संख्या में गणना की जायेगी।

2—इस प्रकरण पर सम्यक् रूप से विचार किया गया और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये उक्त प्रतिबन्ध नहीं लगाया है और भारत सरकार के कर्मचारियों को स्वीकृत अवकाश की अवधि के बीच पड़ने वाली छुट्टियों को आकस्मिक अवकाश की संख्या में गणना न किये जाने की सुविधा उपलब्ध है शासन ने यह निर्णय लिया है कि राज्याधीन सेवा के कर्मचारियों को भी यही सुविधा प्रदान की जाय, अर्थात् आकस्मिक अवकाश की अवधि के बीच में जो रविवार, छुट्टियां तथा अन्य अकार्य दिवस पड़ जाते हैं, उनकी गणना आकस्मिक अवकाश को संख्या में नहीं की जायेगी। तदनुसार उपर्युक्त शासनादेश द्वारा परिचालित मैनुअल आफ गवर्नमेन्ट आर्डर्स के परिच्छेद 90 के उप परिच्छेद (iv) को निम्न प्रकार पढ़ा जाय:—

"Sundays. holidaysa id non working days falling during the period of casual leave shall not be counted as casual leave."

भवदीय,
के० के० एन० सिंह,
उप सचिव।

संख्या 3/1/1979 (i)—कामिक—1, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव।
2—मंत्रिमण्डल के समस्त अनुभाग।
3—राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के सचिव।
4—पंजीयक, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5—रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
के० के० एन० सिंह,
उप सचिव।

संख्या 3/1/1979 (ii)—कामिक—1, तद्दिनांक

प्रतिलिपि विशेष कार्याधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया संशोधित मैनुअल आफ गवर्नमेन्ट आर्डर्स में उपरोक्तानुसार व्यवस्था कराने की कृपा करें।

आज्ञा से,
के० के० एन० सिंह,
उप सचिव।

पी० एस० यू० पी०—यू० पी० 16 मार० (तद्दिनांक)—13—1—80—(3333)—1980—8,500 (हि०)।